राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

ज्येष्ठ 10, बुधवार, शाके 1939—मई 31, 2017
Jyaistha 10, Wednesday, Saka 1939–May 31, 2017

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 30, 2017

जी.एस.आर.30 :–राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 8–ख के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान विधान सभा सदस्य (मुफ्त यात्रा सुविधाएं) नियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा सदस्य (मुफ्त यात्रा सुविधाएं) (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये 1 अप्रेल, 2017 से ही प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. नियम 3 का संशोधन.– राजस्थान विधान सभा सदस्य (मुफ्त यात्रा सुविधाएं) नियम, 2010 के नियम 3 में,–

(i) उप–नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "एक लाख पचास हजार रुपये" के स्थान पर अभिव्यक्ति "दो लाख रुपये" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) उप–नियम (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति" पुनर्भरण की कुल रकम एक लाख पचास हजार रुपये से कम है वहां एक लाख पचास हजार रुपये के पुनर्भरण की रकम" के स्थान पर अभिव्यक्ति "पुनर्भरण की कुल रकम दो लाख रुपये से कम है वहां दो लाख रुपये के पुनर्भरण की रकम" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[संख्या एफ. 7(1)संसद/2016]

राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार व्यास,

प्रमुख शासन सचिव।

PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, May 30, 2017

G.S.R.30 .-In exercise of the powers conferred by section 11 read with section 8-B of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Members (Free Travelling Facilities) Rules, 2010, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Members (Free Travelling Facilities) (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall be deemed to have come into force on and from the 1st day of April, 2017.

2. Amendment of rule 3.- In rule 3 of the Rajasthan Legislative Assembly Members (Free Travelling Facilities) Rules, 2010,-

(i) in sub-rule (1), for the existing expression "Rupees one lakh fifty thousand", the expression "Rupees Two Lakh " shall be substituted; and

(ii) in sub-rule (2), for the existing expression "Rupees one lakh fifty thousand, the amount by which the amount of reimbursement is less than Rupees one lakh fifty thousand", the expression"Rupees two lakh, the amount by which the amount of reimbursement is less than Rupees two lakh" shall be substituted.

[No. F. 7 (1) Sansad/2016]

By Order of the Governor,

Manoj Kumar Vyas,

Principal Secretary to the Government.

संसदीय कार्य विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 30, 2017

जी.एस.आर.31 :–राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) की धारा 4–घ के साथ पठित धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (मुफ्त यात्रा

सुविधाएं) नियम, 2010 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (मुफ्त यात्रा सुविधाएं) (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये 1 अप्रेल, 2017 से ही प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

2. नियम 3 का संशोधन.– राजस्थान विधान सभा भूतपूर्व सदस्य (मुफ्त यात्रा सुविधाएं) नियम, 2010 के नियम 3 में,–

(i) उप–नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''पच्चीस हजार रुपये'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''पचास हजार रुपये'' प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) उप–नियम (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''25,000/– रु. (रुपये पच्चीस हजार)'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''50,000/– रु. (रुपये पचास हजार)'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

[संख्या एफ. 7(1)संसद/2016]
राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार व्यास,
प्रमुख शासन सचिव।

PARLIAMENTARY AFFAIRS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, May 30, 2017

G.S.R.31 .-In exercise of the powers conferred by section 11 read with section 4-D of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members (Free Travelling Facilities) Rules, 2010, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members (Free Travelling Facilities) (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall be deemed to have come into force on and from the 1st day of April, 2017.

2. Amendment of rule 3.- In rule 3 of the Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members (Free Travelling Facilities) Rules, 2010,-

(i) in sub-rule (1), for the existing expression "rupees twenty five thousand", the expression "rupees fifty thousand" shall be substituted; and

(ii) in sub-rule (3), for the existing expression "Rupees 25000/-(Rupees Twenty Five Thousand), the expression "Rupees 50000/-(Rupees Fifty Thousand)" shall be substituted.

[No. F. 7 (1) Sansad/2016]
By Order of the Governor,
Manoj Kumar Vyas,
Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.